कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

स0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-106/2016-17/

दिनांक : /05/2017

सेवा में,

खण्ड विकास अधिकारी,

क्षेत्र पंचायत- एकेश्वर

जिला- पौड़ी गढ़वाल

विषय : क्षेत्र पंचायत एकेश्वर का वर्ष 2011-12 से वर्ष 2015-16 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग -4 (ब)-1 में **शून्य** प्रस्तर, भाग-4 (ब)-2 में **08** प्रस्तर तथा STAN मे 01 प्रस्तर है। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-4 (ब)-1 के सभी प्रस्तरों की अनुपालन आख्या सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन देहरादून एवं भाग-4 (ब)-2 के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 106/2016-17/ दिनांक: /05/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड, डांडा लाखोंड, निकट आई0टी0पार्क, सहस्त्रधारा मार्ग, देहरादून।

2- निदेशक, लेखापरीक्षा (आडिट) निदेशालय, द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005

3- जिला पंचायतराज अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

भाग-एक

वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक के लिये कार्यालय खण्ड अधिकारी एकेश्वर, जनपद-पौड़ी गढ़वाल पर प्रारुप निरीक्षण प्रतिवेदन

(अ) संप्रेक्षावधि मे कार्यरत ब्लॉक प्रमुख तथा खण्ड विकास अधिकारी का नाम तथा पदनाम

श्रीमति सुधा नेगी - ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत एकेश्वर

श्री कीर्ति बल्लभ सिंह नेगी - खण्ड विकास अधिकारी (प्रभारी)

(ब) संप्रेक्षा सदस्यों के नाम तथा पदनाम
(i) श्री त्रिलोक सिंह नेगी, ले.प.अ.
(ii) श्री एल0एस0लिंगवाल, स.ले.प.अ.
(iii) श्री नित्यानन्द सिंह, स.ले.प.अ.
(iv) श्री राजवेश भट्ट, ले.प.

(स) संप्रेक्षा तिथिः 24 मार्च 2017 से 31 मार्च 2017

(द) संप्रेक्षा में आच्छादित अवधि: वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक

भाग-दो

परिचयात्मक :

1. पंचायतीराज संस्था का नाम :. **कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी एकेश्वर, जनपद-पौड़ी गढ़वाल**

(अ) उपरोक्त यदि ज़िला पंचायत है तो:-

(ब) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्याः- 82

भौगोलिक क्षेत्र :- 170 वर्ग किमी.

जनसंख्या : 28035

2- निर्वाचित सदस्यों की संख्या : 22

3- पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्याः 12

4- (ब) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठक की संख्या:- 06

5- कर्मचारियों की संख्या : 17

6- पंचायतराज की सम्पत्तियां : क्षेत्र पंचायत भवन-01

7- पंचायतराज के अपने प्रोजेक्ट : -

8- योजनाओं की संख्या :- भाग-3 के अनुसार

9- (अ) सामाजिक संरक्षा

(ब) रोजगार सृजन से सम्बन्धित: -

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनायें:- मनरेगा आदि

(द) लाभार्थियों की संख्या:

10- वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि : -

11- वर्ष के दौरान कुल व्यय : बजट के अनुसार (**संलग्न**)

(अ) सामान्यः - भाग-3 के अनुसार

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाये) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये।

12- क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया है:- हाँ

भाग-4 (अ)

(क) **परिचयात्मकः-** कार्यालय **खण्ड विकास अधिकारी एकेश्वर, जनपद-गढ़वाल** के लेखा/अभिलेखों की वर्ष **2011-12** से **2015-16** तक की सम्प्रेक्षा श्री त्रिलोक सिंह नेगी, ले.प.अ., श्री एल.एस.लिंगवाल, स.ले.प.अ., श्री नित्यानन्द सिंह, स.ले.प.अ. तथा श्री राजवेश भट्ट, ले0प0 द्वारा दिनांक **24 मार्च 2017** से **31 मार्च 2017** तक सम्पादित की गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः-

यह इकाई का प्रथम निरीक्षण था।

अतः विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थिति-शून्य

प्रस्तर भाग 4(ब)-1 **प्रस्तर भाग 4(ब)-2**

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0

(i) महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तर

शून्य

प्रतिवेदन संख्या वर्ष **भाग**

प्रस्तरों की संख्या

(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर --

(ग) सतत अनियमितताओं की सूची -- शून्य

(घ) अप्रस्तुत अभिलेख -

भाग-4 (ब)II

प्रस्तरः-1 (अ) नियमों के विपरीत 13 वें वित्त की अवशेष धनराशि रु. 18.08 लाख का समर्पण न किया जाना।

जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा क्षेत्र पंचायतों को धनराशि अवमुक्त करते समय स्पष्ट दिशा-निर्देश था कि अवमुक्त धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर करवाकर, जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से महालेखाकार कार्यालय उत्तराखण्ड देहरादून, प्रमुख सचिव वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन, सचिव पंचायती राज उत्तराखण्ड कों उपलब्ध करायेगें, अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी।

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी एकेश्वर के 13 वें वित्त से संबंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि इकाई को वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक उक्त निधि के अंतर्गत विकास कार्यों हेतु रु. 35.96 लाख अवमुक्त किए गए थे। पूर्ववर्ती वर्षों की अवशेष धनराशि सहित कुल उपलब्ध धनराशि रु. 49.48 लाख थी जिसके सापेक्ष इकाई द्वारा उक्त वर्षों में मात्र रु.31.40 लाख की ही कार्य योजना बनाकर कार्य सम्पन्न कराये गये थे, जबकि रु. 18.08 लाख इकाई के बैंक खातों में अप्रयुक्त थे।

इस संबंध में यह भी स्पष्ट करना उचित होगा कि जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा धनराशि बैंक ड्राफ्टों के माध्यम से भेजते समय निर्देश दिए जाते हैं कि धनराशि की प्राप्ति रसीद के साथ पूर्व में निर्धिरित प्रारुप पर कार्य योजना तैयार कर दो-दो प्रतियों में साफ्ट कॉपी सहित तुरन्त उपलब्ध करायें।

साथ ही यह भी शासन के संज्ञान में लाया जाना उचित होगा कि 13 वें वित्त का कार्याकाल समाप्त हुए भी लगभग दो वर्ष बीत चुके है तथा इसके अन्तर्गत स्वीकृत सभी कार्य पूर्ण कर हो चुके है तथा अवशेष धनराशि को शासन को वापस नहीं किया गया एवं 14 वें वित्त द्वारा विकास कार्यों हेतु क्षेत्र पंचायतों को कोई धनराशि आवंटित नही की जा रही हैं। इस स्थिति में 13 वें वित्त की अवशेष धनराशि को केन्द्र सरकार को समर्पित कर दी जानी चाहिए थी। जो कि नही की गई थी।

लेखा परीक्षा में इस संबंध में इकाई से पूछे जाने पर इकाई का कहना था कि संबंधित क्षेत्र पंचायत सदस्यों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण योजना नहीं बनाई गई थी कुल अवशेष

धनराशि रु. 18.08 लाख को समर्पित न करने के संबंध मे इकाई का कहना था कि उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श के पश्चात अवशेष बजट के संबंध में उचित कार्यवाही की जायेगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमानुसार अवशेष राशि को भारत सरकार को समर्पित कर दिया जाना चाहिए था। अतः रु. 18.08 लाख को नियम विरुद्ध बैंक खातों में रखे जाने संबंधी प्रकरण को संज्ञान में लाया जा रहा हैं।

भाग 4(ब)-II

प्रस्तर 2 (अ): इकाई द्वारा निर्माण कार्यों हेतु दी गई अग्रिम धनराशि ` 1.20 लाख का असमायोजित रहना ।

उत्तर प्रदेश वित्तीय हस्तपुस्तिका (उत्तराखण्ड में लागू) Vol. V, लेखा नियम, भाग I, अध्याय XIII के नियम 312(b) के अनुसार यदि किसी कर्मचारी को किसी कार्य के भुगतान हेतु कोई धनराशि दी जाती है तो संबन्धित कर्मचारी द्वारा दो माह के अन्दर उपरोक्त धनराशि का समायोजन बिल प्रस्तुत किया जाना चाहिए |

इकाई के लेखा अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत एकेश्वर, जनपद-पौड़ी गढ़वाल द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान राज्य वित्त आयोग निधि से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों हेतु निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित धनराशि अग्रिम के रूप में दी गई थी:-

(धनराशि ` में)

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	कार्य का नाम	निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि	निर्माण कार्य हेतु दी गई अग्रिम धनराशि	दी गई अग्रिम धनराशि का विवरण
1	श्री कुलदीप सिंह, ग्राम विकास अधिकारी	ग्राम ग्वाड थापली में सी.सी.निर्माण कार्य	90,000	60,000	चेक संख्या 404884 दिनांकित 11.02.2015
2	श्री जितेन्द्र सिंह, ग्राम विकास अधिकारी	ग्राम चमासूगाड़ में अंतरिंग मार्ग पर खड़िन्जा सी.सी.निर्माण	1,00,000	60,000	चेक संख्या 404890 दिनांकित 20.02.2015
		कुल	**1,90,000**	**1,20,000**	

आगे जाँच में पाया गया कि उपरोक्त तालिका के अनुसार संबन्धित कर्मचारियों को अग्रिम धनराशि को दिये हुए आतिथि तक 02 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं परन्तु आतिथि तक संबन्धित कर्मचारियों द्वारा कोई भी बिल समायोजन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है |

इसे इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि संबन्धित कर्मचारियों को कार्य पूर्ण कर समायोजन बिल प्रस्तुत करने हेतु कहा गया है |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि केवल तात्कालिक भुगतान हेतु ही अग्रिम धनराशि का भुगतान किया जाता है जबकि संबन्धित कर्मचारियों को अग्रिम धनराशि दिये हुए दो वर्ष से अधिक का

समय बीत चुका है | संबन्धित कर्मचारी द्वारा दो माह के अन्दर उपरोक्त धनराशि का समायोजन बिल प्रस्तुत किया जाना चाहिए था | इकाई द्वारा उपरोक्त धनराशि के समायोजन हेतु कोई विशेष प्रयास नहीं किये गये |

अतः इकाई द्वारा निर्माण कार्यों हेतु दी गई अग्रिम धनराशि ` 1.20 लाख के असमायोजित रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है |

<u>**भाग 4(ब)-II**</u>

प्रस्तर 3: इकाई द्वारा राज्य वित्त आयोग निधि से संबन्धित `61.65 लाख के उपभोग प्रमाण पत्रों का जिला पंचायतराज अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल /शासन को प्रेषित न किया जाना ।

क्षेत्र पंचायत एकेश्वर, जनपद-पौड़ी गढ़वाल को राज्य वित्त आयोग निधि से वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 हेतु निम्नानुसार धनराशि प्राप्त हुई थी:-

धनराशि (` हज़ार में)

	वित्तीय वर्ष					
	2013-14		**2014-15**		**2015-16**	
किश्त संख्या	आवंटित धनराशि	उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने की तिथि	आवंटित धनराशि	उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने की तिथि	आवंटित धनराशि	उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने की तिथि
प्रथम किश्त	851	05.07.2013	1105	31.12.2014	1004	30.09.15
द्वितीय किश्त	1096	30.05.2014	1105	31.03.2015	1004	31.03.16
योग	**1947**		**2210**		**2008**	
कुल योग	**1947+2210+2008=6165**					

जिला पंचायतराज अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल के पत्रानुसार:-

(i) संक्रमित की जा रही धनराशि वेतन एवं भत्तों पर व्यय नहीं की जाएगी |

(ii) संक्रमित की जा रही धनराशि का उपयोग केवल अन्तर ग्रामीण कार्यों पर ही किया जाएगा |

(iii) खण्ड विकास अधिकारी द्वारा आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र ब्लॉक प्रमुख से प्रतिहस्ताक्षर कराकर उसके साथ कराये गए कार्यों के पूर्ण विवरण कराये गए कार्य का) (नाम तथा व्यय की गई धनराशि सहितके साथ उपलब्ध कराया जाएगा |

इकाई के लेखा अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा क्षेत्र पंचायत हेतु अवमुक्त धनराशि **`61,65,000/-** से संबन्धित कोई भी उपयोगिता प्रमाण पत्र आतिथि तक जिला पंचायतराज अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को प्रेषित नहीं किये गए हैं जबकि सभी पत्रों/शासनादेशों में उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने की अंतिम तिथि स्पष्ट रूप से बताई गई थी |

इसे इंगित किये जाने पर इकाई ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर में बताया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र आतिथि तक नहीं भेजे गए हैं | उपयोगिता प्रमाण पत्रों को तैयार कर शीघ्र ही जिला पंचायतराज अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को प्रेषित कर दिया जाएगा |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जिला पंचायतराज अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल के पत्रानुसार खण्ड विकास अधिकारी द्वारा आवंटित धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों को ब्लॉक प्रमुख से प्रतिहस्ताक्षर कराकर उसके साथ कराये गए कार्यों के पूर्ण विवरण (कराये गए कार्य का नाम तथा व्यय की गई धनराशि सहित) के साथ निर्धारित समयावधि के अन्दर जिला पंचायतराज अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को उपलब्ध कराया जाना था |

अतः इकाई द्वारा राज्य वित्त आयोग निधि से संबन्धित ` 61.65 लाख के उपभोग प्रमाण पत्रों को जिला पंचायतराज अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को प्रेषित न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग 4(ब)-II</u>

प्रस्तर 4: इकाई द्वारा नियमों के विपरीत विभिन्न निधियों से आकस्मिक व्यय के रूप में ` 53,650/- की धनराशि की कटौती कर प्रशासनिक मद में हस्तांतरित किया जाना ।

क्षेत्र पंचायत एकेश्वर, जनपद-पौड़ी गढ़वाल के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान राज्य वित्त आयोग निधि, 13वां वित्त आयोग निधि एवं क्षेत्र पंचायत विकास निधि से कराये गये निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान से से नियमों के विपरीत आकस्मिक व्यय के रूप में निम्नलिखित धनराशि की कटौती कर प्रशासनिक मद में हस्तान्तरित किया गया:-

(धनराशि ` में)

क्रं. सं.	मद का नाम	आकस्मिक व्यय के रूप में काटी गई धनराशि
01.	राज्य वित्त आयोग निधि	22650
02.	13वां वित्त आयोग निधि	17200
03.	क्षेत्र पंचायत विकास निधि	13800
	कुल धनराशि	**53650**

आगे जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य वित्त आयोग निधि से कराये गये निर्माण कार्यों के बिलों से आकस्मिक व्यय के रूप में काटी गई धनराशि ` 22,650/- में से ` 17,078/- को प्रशासनिक मद में खर्च कर दिया गया|

इसे इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि इकाई के पास प्रशासनिक मद में धनराशि उपलब्ध न होने के कारण ऐसा किया गया है| भविष्य में नियमों का अनुपालन किया जायेगा|

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि राज्य वित्त आयोग निधि, 13वां वित्त आयोग निधि एवं क्षेत्र पंचायत विकास निधि के नियमों के अनुसार निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान से आकस्मिक व्यय के रूप में कटौती करने का कोई प्रावधान नहीं होने के बावजूद इकाई द्वारा अपने स्तर पर ही इस तरह का प्रावधान किया गया जोकि नियमों के विपरीत था|

अतः इकाई द्वारा नियमों के विपरीत विभिन्न निधियों से आकस्मिक व्यय के रूप में ` 53,650/- की धनराशि की कटौती कर प्रशासनिक मद में हस्तांतरित किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है|

<u>भाग 4(ब)-II</u>

प्रस्तर 5:- ` 1.20 लाख का गैर अनुमन्य श्रेणी के कार्यों पर व्यय एवं वर्ष 2013-14 में ` 1.20 लाख के कार्य का प्रारंभ न होना।

13 वें वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार इस मद में संकृमित धनराशि का उपयोग पथ प्रकाशः पेयजल योजनाओं का अनुरक्षण, स्वच्छता, परिसम्पत्तियों का निर्माण, स्वजल धारा कार्य क्रम के अंतर्गत निर्मित जलापूर्ति परिसम्पत्तियों को अपने हाथ में लेकर उनका अनुरक्षण आदि कार्यों पर किया जाना चाहिए था।

इकाई के 13 वें वित्त से संबंधित अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया किः

1. इकाई द्वारा वर्ष 2012-13 में निम्न दो कार्य 13 वें वित्त के दिशा निर्देशों के विपरीत सम्पन्न कराए गए थे।

क्रम सं.	कार्य का नाम	व्यय की गई धनराशि `
1.	ग्राम वल्यूली में सिंचाई टैंक/हौज निर्माण	70,000/-
2.	इडा नवालस्यूं टैंक की सुरक्षा दीवार	50,000/-
	कुल	**1,20,000/-**

2. वित्तीय वर्ष 2013-14 में स्वीकृत कार्यों में से ग्राम मथाणा में टैंक व पुश्ता निर्माण हेतु रु. 1.20 लाख का प्रावधान किया गया था किन्तु कार्य प्रारंभ होने के कोई भी प्रमाण पंजिका में उपलब्ध नहीं था, जबकि एक अन्य कार्य नरदा तोक में गणेशपुर संपर्क मार्ग एवं पुस्ता निर्माण हेतु ` 50,000/- स्वीकृत किए गए थे जबकि यह कार्य वर्ष 2012-13 की कार्य योजना में भी शामिल था एवं पूर्ण हो चुका था।

पूर्व पृष्ठ अंकित बिंदुओं की ओर लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर इकाई का कहना था किः

(1) 13 वें वित्त के दिशा निर्देशों का भविष्य में ध्यान रखा जायेगा।

(2) कार्य प्रारंभ न करने के संबंध में इकाई का कहना था कि उक्त योजना (` 1.20 लाख) को वर्ष 2014-15 में प्रस्ताव पारित कर अन्य योजना पूर्ण कर दी गई है।

इकाई का उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि 13 वें वित्त का कार्यकाल समाप्त हो चुका है साथ ही कार्य को वर्ष 2014-15 में प्रस्ताव पारित कर पूर्ण कराया गया था तो वर्ष 2013-14 की कार्य पंजिका में निरस्त करने संबंधी टिप्पणी क्यों अंकित नहीं की गई थी।

अतः `1.20 लाख का व्यय गैर अनुमन्य श्रेणी के कार्यों पर किया जाना व ` 1.20 लाख के कार्य का अपूर्ण रहने संबंधी प्रकरण को संज्ञान में लाया जा रहा हैं।

भाग 4(ब)-II

प्रस्तर 1(ब):- क्षे.प.वि.नि. के अंतर्गत शासन के दिशा निर्देशों के विपरीत ` 10.33 लाख को समर्पित न किया जाना।

जिला पंचायत राज अधिकारी पौड़ी गढ़वाल द्वारा पत्रांक 883/सात-2/क्षे.पं.वि.नि./2014-15 दिनांक 25.11.2014 के माध्यम से समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देसित किया गया था कि इस मद के अन्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग निर्धारित तिथि तक कर लिया जाय, यदि निर्धारित तिथि के पश्चात कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे नियमानुसार शासन को समर्पित कर दिया जाय साथ ही अवमुक्त धनराशि हेतु कार्य योजना उक्त पत्र की प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर क्षेत्र पंचायत की बैठक से अनुमादित करवाकर जिला पंचायत राज कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

इकाई के क्षेत्र पंचायत विकास निधि से संबंधित अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि इकाई को इस मद में वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2015-16 के मध्य (तक) विकास कार्यों हेतु कुल ` 28,96,074 अवमुक्त हुए थे जिनमें से ` 7,11,232 अनु. जाति हेतु निश्चित थे।

आगे लेखा-परीक्षा में देखा गया कि इकाई को उक्त अवधि में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष इकाई द्वारा मात्र ` 26,18,000 की ही कार्य योजनाएं तैयार की गई थी, जो कि अवमुक्त धनराशि से ` 2,78,074 कम थीं जबकि ` 7.55 लाख (लगभग) पूर्ववर्ती (2011-12 तक) वर्षों के अवशेष थे।

साथ ही यह भी देखा गया कि इकाई द्वारा तैयार कार्य पंजिका में अंकित कार्यों के समक्ष यह अंकित नहीं किया जा रहा था कि अंकित कार्यों मैं से कौन-2 से कार्य अनु. जाति से संबंधित हैं जिससे यह स्पष्ट कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है कि शासन द्वारा अनु. जाति हेतु अवमुक्त धनराशि से इन्हीं जातियों के लाभार्थ वाले कार्य/परियोजनाएं कराई जा रही हैं।

उक्त तथ्यों की ओर इकाई का ध्यान दिलाये जाने पर इकाई का कहना था कि अवशेष धनराशि (` 10.33 लाख) हेतु वर्ष 2017-18 में क्षे. पं. बैठक के पश्चात प्रस्ताव पारित कर कार्य योजना तैयार की जायेगी, अनु. जाति हेतु कराये गये कार्यों के संबंध में इकाई का कहना था कि शासनादेशों के निर्देशों के अनुसार ही कार्य कराए जा रहे हैं एवं वर्ष 2012-13 से 2015-16 के मध्य अनु. जाति के लाभार्थ संबंधी कार्यों पर ` 8.51 लाख व्यय किए गए हैं।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं हैं, क्योंकि जिला पंचायतराज अधिकारी के निर्देशानुसार अवशेष धनराशि को शासन को समर्पित कर दिया जाना चाहिए था। जबकि तैयार की गई कार्य योजनाओं पर स्पष्ट रुप से अंकित होना चाहिए कि कौन-2 सी योजनाएं अनु. जाति के लाभार्थ हेतु तैयार की गई है।

अतः ` 10.33 लाख की धनराशि को शासन को समर्पित न करने संबंधी प्रकरण संज्ञान में लाया जा रहा हैं।

भाग 4(ब)-II

प्रस्तर 6: इकाई द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियम 3(10) का उल्लंघन कर ` 78,234/- की सामग्री का क्रय किया जाना |

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियम 3(10) के अनुसार "**निम्नतर दरों का लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाए | अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिए आवश्यक मात्रा को विभाजित नहीं किया जाएगा और न ही कुल आवश्यकता के आंकलित मूल्य के संदर्भ में अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृती प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिए छोटे-छोटे भागों में विभक्त किया जाएगा** " तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियम 9 के अनुसार "**प्रत्येक अवसर पर** ` 15000 **से अधिक तथा ` 1,00,000 तक (**दिनांक 15 जून 2015 के बाद ` 50,000 से अधिक तथा ` 3,00,000 तक**) लागत की सीमा में क्रय की जाने वाली सामग्री का क्रय, विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से गठित तीन समुचित स्तर के सदस्यों की स्थानीय क्रय समिति की संस्तुतियों पर किया जा सकता है | इस क्रय समिति में अनिवार्य रूप से एक सदस्य वित्तीय सेवाओं या लेखा परीक्षा सेवाओं या अधिप्राप्ति क्रय प्रक्रिया में विशेष रूप से प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी होगा, जो अधिप्राप्ति संबंधी प्रक्रियाओं और वित्तीय नियमों पर परामर्श देगा | यह क्रय समिति दरों की युक्तियुक्तता, गुणवत्ता तथा विशिष्टता सूनिश्चित करने के लिए बाज़ार का सर्वेक्षण करेगी और उपयुक्त आपूर्तिकर्ता चिन्हित करेगी | क्रय आदेश देने की संस्तुति से पूर्व समिति के सदस्य संयुक्त रूप से एक प्रमाण पत्र अभिलेखित करेंगे |**"

क्षेत्र पंचायत एकेश्वर, जनपद-पौड़ी गढ़वाल के लेखा अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियम 3(10) का उल्लंघन कर निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए तथा अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृती प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिए आवश्यक सामग्री की मात्रा को छोटे-छोटे भागों में विभक्त करके संलग्नक **"क"** के अनुसार ` **78,234** की सामग्री का क्रय किया गया |

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर, इकाई ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर में बताया कि भविष्य में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा सामग्री क्रय करते समय ही उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए था तथा समस्त आवश्यक सामग्री की मात्रा को टुकड़ों में विभक्त करके क्रय करने की बजाय निविदा प्रक्रिया अपनाकर क्रय किया जाना चाहिए था |

अतः इकाई द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियम 3(10) का उल्लंघन कर ` **78,234/-** की सामग्री के क्रय किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है |

संलग्नक "क"

क्षेत्र पंचायत एकेश्वर, जनपद-पौड़ी गढ़वाल, द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान अनुसूचित जाति उप योजना निधि से कराये गए निर्माण कार्यों हेतु खरीदी गई निर्माण सामग्री का विवरण						
क्र. सं.	**कार्य का नाम**	**वित्तीय वर्ष**	**बिल संख्या**	**बिल दिनांक**	**बिल की धनराशि**	**सप्लायर का नाम**
1.	ग्राम बिंजोली में अनुसूचित जाति बाहुल क्षेत्र के अन्तर्गत सी.सी. निर्माण	2015-16 2015-16 2015-16 2015-16 2015-16 2015-16	139 145 153 167 173 193	05.05.15 06.05.15 07.05.15 08.05.15 10.05.15 18.05.15	4524 14742 14742 14742 14742 14742	मै. रमेश चन्द्र सिंह गुसाई, ग्राम-कुलासू, एकेश्वर, पौडी गढ़वाल
				कुल धनराशि	**78234**	

STAN

प्रस्तर 01:- उ.सी.पि.क्षे.वि. निधि से संबंधित लेन-देन PLA खाते के स्थान पर बैंक खाते से (निर्देशों के विपरीत) किया जाना तथा उक्त निधि की अवशेष राशि ` 15.26 लाख का बैंक खाते में जमा रहना।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण पौड़ी गढ़वाल ने पत्रांक 83/2015-16 दिनांक 27 अप्रैल 2015 एवं पत्रांक/106/2015-16 दिनांक 29 अप्रैल-2015 के माध्यम से समस्त खण्ड विकास अधिकारियों से उ.सी.पि.क्षे.वि. निधि की धनराशि को उनके पी.एल.ए. खाते में डालने हेतु पी.एल.ए. खाता संख्या मांगा था क्योंकि शासन के निर्देशानुसार इस योजना के तहत प्राप्त धनराशि को विभाग के पी.एल.ए. खाते में ही रखा जाना था, तथा इस खाते से आवश्यकतानुसार धनराशि का आहरण किया जाना था, उक्त धनराशि को बैंक खातों में नही रखा जाना था।

इकाई की उ.सी.पि.क्षे.वि. निधि से संबंधित अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान संज्ञान में आया हैं कि इकाई द्वारा उपरोक्त पत्रों के जबाब में परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण पौड़ी को पी.एल.ए. खाते के स्थान पर अपने पी.एन.बी. नौगांवखाल का खाता क्रमांक 1754000/00370624 उपलब्ध कराया गया था एवं इसी खाते में धनराशि स्थानांतरित की गई थी, जो कि स्वयं निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण पौड़ी के उपरोक्त पत्रों के माध्यम से जारी निर्देशों का उल्लंघन था।

इस संबंध में लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर इकाई का कहना था कि इकाई का पी.एल.ए. खाता पूर्व में ही बंद हो गये थे जिस कारण D.R.D.A के पी.एल.ए. खाते से बैंक खाते में धनराशि पूर्व प्राप्त हुई थी, यदि शासन द्वारा आदेश होते हैं तो P.L.A खाता खोल दिया जायेगा। वर्तमान में अवशेष धनराशि उ.सी.पि.क्षे.वि.नि. का खाता खोलकर रखा गया हैं।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं किया जा सकता हैं, क्योंकि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण पौड़ी द्वारा संबंधित पत्रों मे स्पष्ट रुप से इंगित किया गया था कि प्राप्त धनराशि को बैंक खाते में नहीं रखा जाना था।

अतः निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण पौड़ी के स्पष्ट निर्देशों के बाद भी उ.सी.पि.क्षे.वि. निधि से संबंधित धनराशि ` 26.75 लाख को बैंक खाते में रखकर बैंक खाते के माध्यम से व्यय किये जाने से संबंधित प्रकरण को संज्ञान में लाया जा रहा हैं।

भाग 4(ब)-II

प्रस्तर 2(ब):- प्रतिवेदन में स्वीकृत दैवीय आपदा कार्य से हटकर कार्य कराया जाना फलस्वरुप योजना का कार्य अपूर्ण रहना (लागत ` 6.10 लाख)

इकाई को दैवीय आपदा मद वर्ष 2015-16 में स्वीकृत योजना 'थापला मल्ला से घण्डियालधार तक सम्पर्क मार्ग मरम्मत कार्य' हेतु ` 6.10 लाख स्वीकृत थे संबंधित अभिलेखो की जाँच में पाया गया कि उक्त कार्य का अनुबन्ध कर कार्यादेश दिनांक 30/05/16 को जारी किया गया था। अनुबंध के अनुसार योजना का निर्माण निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रारम्भ किया जाना था।

1. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व निर्माण स्थल पर होर्डिंग बोर्ड लगाकर कार्य स्थल की फोटो ग्राफ्स प्रधान ग्राम पंचायत से प्रमाणित कराकर विकास खण्ड कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
2. निर्मित योजना का प्रधान ग्राम पंचायत से हस्तान्तरण प्रमाण पत्र एवं फोटोग्राफ्स उपलब्ध करवाने पर ही योजना का अन्तिम भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

आगे जाँच में पाया गया कि ठेकेदार को 1ST Running Bill का भुगतान ` 4.57 लाख किया गया था किन्तु किये गये कार्यों के फोटोग्राफ्स व योजना का हस्तान्तरण प्रमाण पत्र पत्रावली में उपलब्ध नहीं था। ठेकेदार द्वारा प्रतिवेदन में स्वीकृत कार्यों के अलावा कार्य कराये गये थे किन्तु स्वीकृत योजना के कार्य अभी तक अपूर्ण थे।

इंगित करने पर इकाई द्वारा स्वीकार किया गया कि कार्य अभी अपूर्ण है, फोटोग्राफ्स प्राप्त न होने के कारण द्दितीय किश्त प्राप्त नहीं हो पायी।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि ठेकेदार द्वारा स्वीकृत कार्य के अतिरिक्त कार्य किया गया जिसके कारण कार्य अभी अपूर्ण हैं।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता हैं।

भाग 4(ब)-II

प्रस्तर 7:- पंडित दीन दयाल उपाध्याय आवास योजना के लाभार्थियों को कार्य पूर्ण होने के दो वर्ष बाद भी द्‌वितीय किश्त की धनराशि का भुगतान न होना।

शासन द्‌वारा वी.पी.एल. श्रेणी के अंतर्गत आने वाले परिवारों जिनके पास आवास नहीं है या आवास जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है, की मदद के दृष्टिगत पण्डित दीन दयाल आवास योजना के माध्यम से आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

खण्ड विकास अधिकारी एकेश्वर के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि इकाई के कार्य क्षेत्र में आने वाले ग्राम पंचायतों में निवास कर रहे वी.पी.एव. परिवारों हेतु वर्ष 2013-14 में इस योजना के अंतर्गत निम्न तीन लाभर्थियों का चयन किया गया था।

क्र.	नाम	ग्राम	स्वीकृत धनराशि
1.	श्री गणेश चन्द्र S/O श्री केशवानन्द	ग्राम पाथर	` 75000/-
2.	श्री महिपाल सिंह S/O श्री साबर सिंह	ग्राम-रणस्वा	` 75000/-
3.	श्रीमती यशोदा देवी W/O श्री विनोद कुमार	ग्राम-पुसोली	` 75000/-

जिला विकास अधिकारी पौड़ी द्‌वारा उक्त लाभार्थीयों हेतु प्रथम किश्त (` 45000/- प्रत्येक) अपने पत्रांक 8 एवं 9 दिनांक 1 अप्रैल 2014 द्‌वारा उनके बैंक खातों में जमा करा दी गई थी।

तत्पश्चात संबंधितों द्‌वारा निर्माण/मरम्मत कार्य पूर्ण कराने के पश्चात कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से 20 मार्च 2015 को जिला विकास अधिकारी पौड़ी गढ़वाल को द्‌वितीय किश्त की मांग के साथ प्रेषित किया था।

इकाई के लेखा अभिलेखों की जांच के दौरान संज्ञान में आया है कि संबंधितों को उक्त कार्यों की द्‌वितीय किश्त (` 3000/- प्रत्येक) अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं।

इस संबंध में लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर इकाई का कहना था कि उक्त लाभार्थियों की अंतिम किश्त हेतु 20/03/2015 को जिला विकास अधिकारी पौड़ी को मांग प्रेषित कर दी गई थी, किन्तु अभी तक द्‌वितीय किश्त प्राप्त नहीं हुई है पुनः स्मरण पत्र प्रेषित किया जा रहा हैं।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इस संबंध में इकाई द्‌वारा मार्च 2015 से मार्च 2017 दो वर्ष तक कोई प्रयास नहीं किया गया था, जिसके कारण संबंधितों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है।

अतः पं. दीन दयाल उपाध्याय आवास योजना के लाभार्थियों को दो वर्ष पश्चात भी द्दितीय किश्त प्राप्त न होने संबंधी प्रकरण संज्ञान में लाया जा रहा हैं।

भाग 4(ब)-II

प्रस्तर 8:- इकाई द्वारा विभिन्न बैंक खातों से ब्याज के रुप में प्राप्त धनराशि ` 9,36,486/- का राजकोष में जमा न किया जाना।

प्रमुख सचिव वित्त उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 347/वि.आ.निदे. (तृ.रा.वि.आ.)/2013 दिनांक 17 जनवरी 2013 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न स्त्रोतों से धनराशि जो कि लंबे समय तक व्यय न होने के कारण बैंकों में जमा रहती है एवं उन पर ब्याज प्राप्त होता है, से प्राप्त होने वाली ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा कर दिया जाना चाहिये।

इकाई के लेखा अभिलेखों की जाँच के दौरान पाया गया कि इकाई के पास वर्ष 2015-16 (31 मार्च 2016 को) के अंत तक विभिन्न बैंक खातों से ब्याज प्राप्ति के रुप मे (संलग्नक-विवरणानुसार) ` 9,36,486/- अवशेष थे जिन्हे कि राजकोष मे जमा किया जाना चाहिए था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर तथ्यों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि ब्याज के रुप में प्राप्त धनराशि ` 9,36,486/- को शीघ्र ही चालान के माध्यम से राजकोष में जमा करा दिया जायेगा।

अतः इकाई द्वारा ब्याज के रुप में प्राप्त धनराशि ` 9,36,486/- को राजकोष में जमा न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता हैं।

संलग्नकः-

- 01 अप्रैल 2014 तक अवशेष ब्याज की धनराशि - 2,78,569/-

वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 मे प्राप्त ब्याज	- 11,98,917/-
योग	- 14,77,486/-
राजकोष मे जमा की गयी धनराशि	- (-)5,41,000/-
राजकोष मे जमा करने हेतु अवशेष धनराशि	- 9,36,486/-

भाग-4, अनुभाग (स)

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततांए जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी प्रति **कार्यालय खण्ड़ विकास अधिकारी एकेश्वर, जनपद - पौड़ी गढ़वाल** को इस आशय से प्रेषित की गयी हैं कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड,वैभव पैलेस,सी-1/105,इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करें।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्था0नि0